

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE - EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

No.F. 14/5/LA-2002/323

Dated 28-3-2002

The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt. Governor of Delhi, on the 28th March, 2002 and is hereby published for general information:-

THE APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) ACT, 2002
(Delhi Act No. 8 of 2002)

Dated :

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi)

AN

ACT

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the months of April to May, 2002.

Be it enacted by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in the 53rd year of the Republic of India as follows:-

SHORT TITLE

1. This Act may be called the Appropriation (Vote on Account) Act, 2002.

Vote on Account for Rs. 1582,70,50,000/- out of the Consolidated Fund of the Government of National Capital Territory of Delhi for the months of April to May, 2002.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (5) of the schedule amounting in the aggregate to the sum of Rupees fifteen hundred eighty two crores seventy lakhs and fifty thousand, towards vote on account for defraying the several charges which will come in the course of payment during the months from April to May, 2002 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

APPROPRIATION

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said period.

A. K. MENDIRATTA
Joint Secretary (Law, Jus. & L.A.)
Govt. of NCT of Delhi.

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

(Rs. in thousands)

SUMS NOT EXCEEDING				
DEMAND NO.	SERVICES AND PURPOSES	Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2	3	4	5
1	Legislature Revenue	6317	533	6850
2	General Administration Revenue	45690	3177	48867
3	Administration of Justice Revenue	91058	39142	130200
4	Finance Revenue	100200	0	100200
5	Home Revenue	119767	267	120034
	Capital	13333	0	13333
6	Education Revenue	1943433	350	1943783
	Capital	42917	0	42917
7	Medical and Public Health Revenue	838658	25	838683
8	Social Welfare Revenue	275950	0	275950
	Capital	1581300	0	1581300
9	Industries Revenue	72132	83	72215
	Capital	58335	0	58335
10	Development Revenue	273231	604	273835
	Capital	163582	1733	165315
11	Urban Development and Public Works Revenue	2143850	0	2143850
	Capital	5720934	83333	5804267
	Public Debt. Revenue	0	1846733	1846733
	Capital	0	210383	210383
12	Loans to Government Servants Capital	16667	0	16667
13	Pension Revenue	133333	0	133333
Total		13640687	2186363	15827050


(Roshan Lal)
Under Secretary (Legislative Affairs)

A. K. MENI RATTA
Joint Secretary (Law, Jus. & L.A.)
Govt. of NCT of Delhi.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग 4 में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)

क.सं. एफ. 14 § 5 § विधायी कार्य/2002/323

दिनांक 28-3-2002

उपराज्यपाल, दिल्ली को दिनांक 28 मार्च, 2002 को मिली अनुमति के पश्चात विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:-

विनियोग (लेखा अनुदान) अधिनियम, 2002

(दिल्ली अधिनियम संख्या: 8, 2002)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथा पारित)
अधिनियम

अप्रैल से मई, 2002 माह से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ राशि का विनियोजन करने के लिए विधेयक।

इसे भारतीय संविधान के 53 वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए।

संक्षिप्त शीर्षक

(1) इस अधिनियम को विनियोग (लेखा अनुदान) अधिनियम 2002 कहा जाए।

1582,70,50,000/- रुपयों का (2) लेखा अनुदान अप्रैल से मई, 2002 माह के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए पन्द्रह सौ बयासी करोड सत्तर लाख पचास हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में अप्रैल से मई, 2002 माह की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन

(3) इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(खण्ड 2 व 3 देखे)

(रुपये हजारों में)

राशी इससे अधिक नहीं

मांग संख्या	सेवार्ये एवं उद्देश्य	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधी पर भारित	जोड़
1	2	3	4	5
1	विधान मंडल	राजस्व 6317	533	6850
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व 45690	3177	48867
3	न्याय प्रशासन	राजस्व 91058	39142	130200
4	वित्त	राजस्व 100200	0	100200
5	गृह	राजस्व 119767	267	120034
		पूंजी 13333	0	
6	शिक्षा	राजस्व 1943433	350	1943783
		पूंजी 42917	0	
7	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	राजस्व 838658	25	838683
8	समाज कल्याण	राजस्व 275950	0	275950
		पूंजी 1581300	0	1581300
9	उद्योग	राजस्व 72132	83	72215
		पूंजी 58335	0	
10	विकास	राजस्व 273231	604	273835
		पूंजी 163582	1733	165315
11	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व 2143850	0	2143850
		पूंजी 5720934	83333	5804267
	सार्वजनिक ऋण	राजस्व 0	1846733	1846733
		पूंजी 0	210383	210383
	सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण	पूंजी 16667	0	16667
	पेंशन	राजस्व 133333	0	133333
	जोड़	13640687	2186363	15827050

रोशन लाल

(रोशन लाल)

अवर सचिव(विधि एवं न्याय)